न्यायालय न्याय निर्णयन् अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

पुनरीक्षण(रिव्यू) प्रार्थनापत्र सं. — 9/2016

प्रार्थीगणः—	बनाम	अप्रार्थीः—
1.मेघराज पुत्र श्री किस्तुरजी (मालिक वि विक्रेता, मैसर्स मेघराज किस्तुरजी,करडा रोड भीनमाल,जिला जालोर 2.मनाराम पुत्र श्री तेजारामजी, मैसर्स हीराराम मनाराम, खारी रोड,भीनमाल, जिला जालोर 3.गोवर्धनदास अग्रवाल(नोमिनी) मैसर्स झण्डेवाला फुड प्राईवेट लिमिटेड,350/352 तृतीय तल,सारोगी मैनशन, एम.आई.रोड जयपुर।		सरकार जरिए श्री दिलीपसिंह, खाद्य –सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर हाल पाली।

पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र ,विरूद्ध आदेश न्याय निर्णयन् अधिकारी(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट), जालोर दिनांक 20.6.2016(प्रकरण सं. 12/2015)

1.श्री मनोहरसिंह,अभिभाषक,प्रार्थीगण की ओर से अनुपस्थित।
2.श्री गजेन्द्र कुमार,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जालोर अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

निर्णय दिनांक 25.4.2018

1. प्रार्थीगण की ओर से पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 9.8.2014 को 2.00 पी.एम. पर मेघराज कस्तुरचन्द की फर्म पर घी ब्राण्ड नमन्'रा' होना बताया तथा फर्म का निरीक्षण करने पर 22 मूल पैकेटों में प्रत्येक में 500 एम.एल. घी ब्राण्ड नमन्स भरा हुआ था जिसे नमूना वास्ते एफ.एस.एल. लेकर जांच हेतु भेजा तथा शेष माल को सील चस्पा किया तथा एफ.एस.एल.द्वारा घी ब्राण्ड नमन्स का घी मिस ब्राण्डेड पाया गया जिससे प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया जो प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण सं. 12/2015 जवाब के स्टेज पर चल रहा था। प्रार्थीगण की ओर से

अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा पेश किया। न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 26.6.2016 को अधिवक्ता के उपस्थिति में इस्तगासे के तथ्यों को स्वीकार किया जाना बताकर एकतरफा फैसला कर प्रार्थीगण सं.3 पर 91000/–रूपये का जुर्माना आरोपित किया जो आदेश गलत पारित किया गया है। प्रार्थीगणों के अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार से इस्तगासे के तथ्यों को एडमिट नही किया गया है , न ही किसी फर्द पर एडमिट करने के हस्ताक्षर है और न ही लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया और न ही फैसला करने का निवेदन किया बल्कि अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगणों की ओर से जवाब व साक्ष्य हेतु समय मांगा गया था तथा अपनी उपस्थिति बाबत् आर्डरशीट में हस्ताक्षर किये थे। प्रार्थीगणों को सुनवाई का पूरा अवसर दिये बिना ही उपस्थिति के हस्ताक्षर को आधार बनाकर गलत आदेश पारित किया है एवं जवाब, शहादत सफाई के अवसर दिये बिना ही फैसला कर आदेश पारित किया है जो गलत तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की है। खाद्य निरीक्षक द्वारा 22 पैकेट 500 एम.एल. घी बरामद करना बताया गया है जिसके आधार पर भी जुर्माना राशि की गणना करने में भी न्यायालय ने भारी भूल की गयी है। अतः पुनरीक्षण (रिव्यू) प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगणों का जवाब साक्ष्य सफाई पेश करने का उचित अवसर प्रदान करावे। प्रार्थीगण ने पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र तथा निर्णय दिनांक 20.6.2016की प्रमाणित प्रति पेश की , इस पर पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया व अभिलेखागार से प्रकरण सं. 12/2015 की मूल पत्रावली तलब की गई।

2. अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नही किया गया।

3 प्रार्थीगण के वकील दिनांक 12.4.2018को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई व अप्रार्थी के वकील ने लिखित बहस भी पेश की जिसमें बताया कि प्रार्थीगण ने अपील के प्रावधान होते हुए भी इस न्यायालय में पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। इस न्यायालय के ऐसे प्रकरण के विरूद्ध रजिस्ट्रार, खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण ,जयपुर में अपील का प्रावधान है। अतः प्रार्थीगण को को वहां अपील करनी चाहिये न कि इस न्यायालय में रिव्यू प्रार्थनापत्र। इस न्यायालय के एफएसएसए प्रकरण सं. 12/2015 सरकार बनाम मेघराज वगैराह में दिनांक 20.6.2016 के दिवस अप्रार्थीगण सं.1से 3 के वकील उपस्थित थे जिन्होने परिवाद के तथ्यों को स्वीकार किया था। अतः प्रार्थीगण का पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

4. अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा द्वारा परिवाद सं. 12/2015 में पारित आदेश दिनांक 20.6.2016 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह रिव्यू प्रार्थनापत्र पेश किया है ,इसमें प्रार्थीगण द्वारा मुख्यतः यह बताया हैं कि परिवाद सं. 12/2015 में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दिनांक 20.6.2016 को किसी प्रकार से परिवाद के तथ्यों को स्वीकार नही किया है, ,जवाब,साक्ष्य हेतु समय मांगा था जिस पर ओर्डरशीट में उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये है। हमने उक्त बिन्दु के सबंध में परिवाद सं. 12/2015 का अवलोकन किया ,परिवाद सं. 12/2015 में दिनांक 20.6.2016 को अप्रार्थीगण मेघराज के कायम मुकाम वकील ने स्वयं उपस्थित होकर परिवाद के तथ्यों को स्वीकार किया है जिसके हस्ताक्षर ऑर्डरशीट दिनांक 20.6.2016 पर किये है। अतः इस रिव्यू प्रकरण में प्रार्थीगण मेघराज के कायम मुकाम के वकील द्वारा यह कहना कि उसने परिवाद के तथ्यों को स्वीकार नही किया है, गलत है। इसके अलावा, रिव्यू प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण वकील द्वारा ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नही किये है जिससे यह सिद्ध होता हो कि न्यायालय हाजा के द्वारा परिवाद सं. 12/2015 में पारित आदेश दिनांक 20.6.2016 में किसी प्रकार के तथ्यों व विधि की भूल की हो। प्रार्थीगण मेघराज के कायम मुकाम के वकील परिवाद सं. 12/2015 में पारित निर्णय दिनांक 20.6.2016 से असंतुष्ट हैं तो इस निर्णय के विरूद्ध अपील ,रजिस्ट्रार, खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर में कर सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 20.6.2016 (परिवाद सं.12/2015) के विरूद्ध प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

Sd.
(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन् अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर),
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 25.4.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

Sd.
(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन् अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर),
जालोर